न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़, (अजमेर)

दायर दिनांकः—08.04.2019

राजस्व वाद संख्याः—29 / 2019

1. माफी मंदिर श्री राधामोहन जी महाराज जरिये पुजारी श्री श्यामलाल शर्मा शिष्य श्री गोपालदास जाति ब्राह्मण(साधु) निवासी ग्राम छोटा नरेना तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज.।

———प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बाबत् राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु

दिनांकः—08.12.2021

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम नरेना पटवार हल्का जूणदा भू.अ.नि. क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार नवीन खाता संख्या नया 193 के खसरा नम्बर 554 हैं जिसमें रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम 07—04, किस्म तालाबी प्रथम 07—12 है। जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार माफी मंदिर श्री राधामोहन जी महाराज के नाम पहले प्रार्थी के गुरूदेव जी गोपालदास जी महाराज का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रखा था जिनका नाम पहले ही राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर दिया गया था जिसके बाद मुझ प्रार्थी का नाम दिनांक 12.09.2018 को राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के तहत मुझ पुजारी श्यामलाल शर्मा का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राज्य सरकार ने इस परिपत्र के द्वारा पुजारी का नाम पुनः जोड़ने का परिपत्र जारी किया हैं। जिसके तहत मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुझ प्रार्थी पुजारी के रूप में श्यामलाल शर्मा शिष्य श्री गोपालदास का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित किया जावे। मुझ प्रार्थी के नाम पर मेरे गुरूदेव की वसीयत है तथा सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसमें श्यामलाल शर्मा शिष्य श्री गोपालदास दर्ज है। प्रार्थी के गुरूदेव जी श्री गोपालदास जी महाराज का नाम पहले विलोपित कर दिया गया था अब उनका गोलोकवास हो गया है अतः राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.09.2018 को जारी परिपत्र के तहत मुझ पुजारी श्यामलाल शर्मा का नाम मंदिर भूमि के साथ जरिये पुजारी अंकन किया जावे । राज्य सरकार ने इस परिपत्र के द्वारा पुजारी का नाम जोड़ने का परिपत्र जारी किया है। जिसके तहत मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत मुझ प्रार्थी का नाम अमल दरामद [illegible] की कृषि भूमि के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं [illegible] सहित अन्य राजकीय कार्य में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है [illegible] अपने [illegible] काश्त एवं खातेदारी की आराजी में पुजारी की हैसियत से जोड़ा जावे। जिसके [illegible] जमाबन्दी की नकल दिनांक 02.04.2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.21 16:18:00 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

को प्राप्त की तब प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी के गुरूदेव का नाम पूर्व में जारी आदेश से मेरे गुरूदेव जी गोपालदास जी महाराज को विलोपित कर दिया गया था जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.09.2018 को जारी परिपत्र में मुझ पुजारी श्यामलाल शर्मा का नाम मंदिर के साथ जरिये पुजारी अंकन किया जावे राज्य सरकार ने इस परिपत्र के द्वारा पुजारी का नाम पुनः जोड़ने का परिपत्र जारी किया हैं। जिसके तहत मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत मुझ प्रार्थी का नाम अमल दरामद किया जावे। जबकि प्रार्थी के वसीयत, सजरा व परिपत्र के अनुसार श्यामलाल शर्मा शिष्य श्री गोपालदास को रिकार्ड दुरूस्ती चाहता है जिसके समर्थन में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मेरे गुरूदेव का गोलोकवास हो गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम नरेना पटवार मण्डल जूणदा भू–निरीक्षक क्षेत्र भदूण, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 193 में खसरा नम्बर 554 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा माफी मंदिर श्री राधामोहनजी महाराज स्थान देह खातेदार के नाम पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। ग्राम नरेना की वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 113 में खसरा नम्बर 554 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा माफी मंदिर श्री राधामोहन जी महाराज स्थान देह खातेदार पुजारी गोपालदास शिष्य लक्ष्मीनारायण कौम साधू सा0 देह के नाम दर्ज थी जो वर्तमान जमाबन्दी तक रिकार्ड यथावत दर्ज चली आ रही है रिकार्ड अनुसार प्रार्थी के गुरूदेव गोपालदासजी महाराज का नाम पुजारी के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज होना व विलोपित किया जाना अंकन नही है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.09.2018 में मंदिर की भूमि में पुजारी या सरवराकार का नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में अंकन किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है केवल पृथक पंजिका बनाकर उसमें पुजारियों का नाम अद्यतन रखने के निर्देश प्रदान किए गए है।

वाद अधीन भूमि मन्दिर माफी की भूमि है एवं मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है इसलिए मन्दिर मूर्ति की भूमि में किसी का नाम जोडा जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रुपनगढ को तहसील कार्यालय में इस बाबत् संधारित की जा रही पृथक पंजिका में पुजारी का नाम अद्यतन रखने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ...2021 को कैम्प कोर्ट प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत ... जाकर हस्ताक्षर किये गये एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.21 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)